इन चीजों का, नाशक कीटों का, नाशक जीवों का कि आपको उसे संचालन करने के लिए पैसे की आवश्यकता है । यह आपके कृषि मंत्रालय का एक भाग है । कृषि मंत्रालय के पास बहुत पैसा है । आपको पैसे की कोई जरूरत नहीं है और आपका पहले से यह कानून बना हुआ है, सीधी सी बात यह है कि आप विदेश से सारे बीज आयात करके, हमारे देश में चीजों का उत्पादन और अनुसंधान ठप्प करना चाहते हैं और उससे हमारे देश की प्रगति में आप बाधा पैदा करना चाहते हैं ।

मेरे साम्यवादी भाई क्षमा करेंगे--- चीन की बात मैंने कही । तोउनको खुशी हुई होगी लेकिन रूस में जब बरसात होती थी, तो हमारे यहां साम्यवादी भाई भारत में छाता तानते थे । जब आज रूस गिर गया तो साम्यवाद का बंटाधार हो गया । कल को अगर अमरीका का विनाश हो गया, तो हमारे देश का क्या होगा ? आप कहां से यह सारी चीजें लायेंगे ?

इसलिए बजाए आप विदेश की तरफ देखें, अपने देश को आत्म-निर्भर बनाइये । एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे यहां वैज्ञानिकों की योग्यता व क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है । तो मैं चाहूंगा मंत्री जी, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं । मैं जानता हूं कि किसान का हित कहां पर है । किसान का हित इसमें है कि जो बीज उसके पास नहीं है, वह उसे आप समय पर सस्ता दे दें, पानी, बिजली दे दीजिए, उसकी लागत को कम कर दीजिए और पैदा की हुई चीज लागत व मुनाफे के साथ खरीद लीजिए । इसमें किसान का हित है । उसमें किसान का हित नहीं है, जो आप कह रहे हैं । तो आप किसान के हित को इस तरह से देखिये ।

महोदय, मैं अन्तिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप ही बताइये कि इस प्रकार से यह दोहरी नीति आप क्यों चला रहे हैं--एक तरफ निर्यात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आयात कर रहे हैं---आप यह कह सकते हैं कि बीज का निर्यात कर रहे हैं विदेशी मुद्रा कमाने के लिए । मेरा आखिरी वाक्य है कि हम भूखे भी हैं, नंगे भी हैं और सड़क पर पड़े हुए हैं, जाड़े में और हमको पैसा मिलता है, तो क्या तीनों चीजें हम एक साथ करेंगे । पहले एक चीज करेंगे, पहले खाना खायेंगे, फिर कपड़ा बनायेंगे और उसके बाद हम मकान बनायेंगे, तो निर्यात मत करिए ।

विदेशी मुद्रा कमाना इतना आवश्यक नहीं है, जितना देश का खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर होना आवश्यक है ।

इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं ।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1991-92 (MARCH, 1992)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1991-92 (March, 1992).

THE DESTRUCTIVE INSECTS AND PETS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1992—Contd.

श्रीमती मीरा दास (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूं कि असल में यह जो विधेयक लाया गया है, यह हमारे देश के लिए कितना प्राफिटेबल होगा, हमारे किसानों के लिए कितना प्राफिटेबल होगा ।

हम चाहते हैं कि अपने देश में जितना उपजाऊ हमारे कृषक को होना चाहिए, हम उतना कर नहीं पाते हैं और अपने देश में जितना चाहे उद्योग-धंधा लगाने के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए हमें काम करना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक लाया गया है, इसमें मेरे ख्याल से जितना

[श्रीमती मीरा दास]

मैं सोचती हूं, इसमें लगता है कि हम जितना चाहें, किसके प्रेशर से हम विदेश से कुछ लाना चाहते हैं । इधर हम कहते हैं कि नहीं हम किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं और उधर हम चाहते हैं कि विदेश से जितना ला सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं आयात कर सकते हैं हम करते हैं । इस विधेयक के पीछे जो हमारे शब्द बोले कि हम किसी प्रैशर में काम कर रहे हैं । अभी जो दो-दो अमेंडमेंट इसका 1989 में जो हुआ था अमेंडमेंट और इसके बाद जनवरी 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ इसकी क्या जरूरत थी ? अभी ऐसा क्या जरूरी हो गया कि जितना हमारे किसानों ने, किसानों के लिए हम अगर कुछ अच्छे बीज, अच्छा पानी, अच्छी जमीन का बंदोबस्त कर सकते हैं तो इससे उपज बढ़ सकती है । लेकिन हम इसको पीछे करके और इसको नजरअंदाज करके हम बाहर से कुछ लाने की तैयारी करते हैं और इसलिए हम इस विधेयक को ला रहे हैं, मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगी हमारे देश के कृषक हमारे देश का भविष्य हैं और देश के लिए इनका जितना दान है वह बहुत बड़ा है । इसलिए मैं आपके माध्यम से, यह जो विधेयक लाया गया है, इसका मैं विरोध करती हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri Ramnarayan Goswami. ... (*Interruptions*) ...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir... (*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Unless the House permits, I can't allow you... (*Interruptions*) ...

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI (West Bengal): No, no Mr. Narayanasamy.

SHRIMATI MIRA DAS: He is to oppose the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Goswamy, please go ahead.

SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI: Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill under discussion seeks to replace the Ordinance—and the Ordinance was promulgated in a hurry after the honourable High Cour's ruling against the Government measure to impose a levy on the importers. So, there are no two opinions that the move of the Government was a belated one.

Secondly, the Minister knows that the increase in the cost of pesticides and fungicides will not be borne by the nporters, not at all. They will pass it on to the farmers until and unless—I do not know whether—the Minister is eager to fix the prices of pesticides and fungicides. If he doesn't fix the prices, then the importers will pass the burden on to the shoulders of the farmers.

Thirdly, Sir, I want to say that the principal Act was enacted in 1914, that is, about 78 years ago. Meanwhile, a lot of changes have taken place in the agrarian scenario of our country. So, it would have been better if the Minister came out with a comprehensive Bill after giving much thought to it. Such piece meal attempts and adhocism should be avoided.

Sir, during the last two decades, the demand for pesticides and fungicides has increased to a great extent. From 2,000 tonnes in the 1950s, it has gone up to 80,000 tonnes today. Pesticides have become an important tool as a plant protection agent for boosting production. Despite the growing use of pesticides, the annual crop losses due to pests and disease have increased from about Rs. 3,000 crores in 1976 to over Rs. 6,000 crores now. That's why I want to know from the Minister the reason behind it. Has he conducting any study on the fact that a huge amount of adulterated pesticides are being supplied to our

farmers? American companies are using India as a good dumping ground for their bad quality pesticides. Further it is reported in the press, and by farmers also, that pests and insects have become resistant to a good number of pesticides and insecticides which we imported from abroad. Not only that, but a number of chemicals like clodal hiptaclode etc. which have been banned in the West, are being dumped in our country. I want to know why all these are not banned in our country also.

So, Sir, I request the Minister to give up all this thought of adhocism. Let him come with a comprehensive Bill.

With these words, I conclude.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will take only two, three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): No. You cannot be permitted, as you know the rule, unless the House agrees. What is the sense of the House?

SOME HON. MEMBERS: No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): This is the sense of the House.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will speak for only two, three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is not the question.

SHRI V. NARAYANSAMY: Sir, Members agree. So many times Members are called later. This is the convention in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If the House agrees, I have no objection.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, we agree.

SHRI V. NARAYANASAMY. Sir, collectively they agree: individually they don't agree.

SHRI P. CHIDAMBARAM: We agree Sir. He would have finished by this time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): All right. I take it that the House has no objection.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I rise to support...

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Okay.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Narayansamy, I have not identified you. I am giving the ruling that I take it that the House has no objection.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, enough embarrassment has been caused to him. He may be allowed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The sense of the House is that you should be allowed. All right. Mr. V. Narayansamy.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I rise to suport the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You see, this is the time of Holi. Everybody is playing with you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this Bill is revalidating the levies that were put by the Government on imported pesticides and seeds because of the order passed by the High Courts of Calcutta and Bombay.

Sir, now, there are two, three important aspects as far as pesticides are concerned. You know pretty well that in our country the farmers by practice have been adopting modern technology in agriculture. We have to thank them. In spite of a lot of constraints and in spite of the fact that our farmers could not get the feedback on certain inventions made even in the local universities in this

[Shri V. Narayanasamy]

ountry and in the ICAR, they are producing more in this country. We have to thank the farmers on this day for that.

I will mention one aspect because the hon. Agricultural Minister is throughly committed to the farming community. Why I say this is that about the lab-to-land system in the Agricultural Research Institutes in our country and various universities, the inventions that are made in pesticides and vareties of seeds, do not reach the farmers in time. It takes more than six to seven years for the farmers to adopt a technology, to adopt a variety of seeds, to adopt a pesticides for the purpose of having high-yeilding varieties. In Western countries, while they have mechanised farming, what they have done is that they have banned the BHC product and also the DDT. But, Sir, we are still using the same pesticides for the purpose of killing insects in our country.

Sir, our farmers are capable of adopting the new technology. I would like to request the hon. Minister about the inventions that are made in our laboratories. You are depending upon foreign countries. That style of receiving foreign technology you adopt, though it is available in our country through various inventions made by our agricultural scientists. Why do you go for foreign technology? As one hon. Member has said, about Rs. 6,000 crores we are spending for the purpose of importing high-yeilding variety seeds. Why should we not adopt the technology which is available in our country? This is one point, Sir. Secondly, though we adopt the seeds which are brought from other countries, our agro-climatic conditions are not conducive to such varities. There is a particular disease. *Pogaya* which is affecting the farmers in southern part of the country. Because of that disease the entire paddy filed is completely destroyed. Though inventions have been made by various Indian research institutes to control that disease, that is not applied here. We take foreign technology and give it to our farmers. In spite of that the pests cannot be controlled. We have been losing more than 25 per cent of the total agricultural production only by these pests. Therefore, I request the hon. Minister to consder applying Indian scientific and technological inventions in our fields because they are developed under our agro-climatic conditions. I agree with the hon. Minister on the conditions that we impose for collecting the seeds, but for the purpose of applying a particular step for saving the crops or seeds, he should consider reducing import of high-yeilding varities. Near Pondicherry, there is one Auroville. They apply our Indian agricultural system. They have been getting very good yeild in fruits and vegetables. They are having very big gardens with our Indian farmers and knowhow. They have come from 167 countries and they are living in that part of our State and they are applying only the Indian knowhow for the purpose of getting the crops. Therefore, I would request the hon. Minister to consider applying our indigenous inventions for the purpose of having high-yeilding varities. Let us not be crazy of getting foreign technology and seeds. Let us develop our own seeds and let our farmers be benefited by these inventions.

श्री बलराम जाखड़ : चेयरमैन साहब, वह तो माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं आपको एक थोड़ी सी विनती करना चाहता हूं कि आपने जिस दृष्टिकोण को अपनाया वह इस पर लागू नहीं होता। सीधी सी बात है कि 1914 में और आज में बहुत अंतर है। जमाना बढ़ गया, तरक्की कर गया और तरक्की के साथ-साथ अब संसार भी बहुत छोटा हो गया। इसके साथ हम छोटे क्यों हों? हम भी बढ़ रहे हैं। हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, हम लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। कोई नई बात चिंता की नहीं है। सन् 1914 से लेकर जब ओरिअन ने किया इसको, तब सोचा गया कि इतना प्रादुर्भाव अगर होगा तो उसकी देखभाल भी उतनी ही अच्छे

ढंग से होनी चाहिए ताकि कहीं ऐसा न हो कि खता खा जाएं, कोई गलत बात हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से हमने किया है, सन् 1989 के बाद से आज तक भी कोई नई पेस्ट्स हमारे देश में, उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, यह सिर्फ इसलिए किया गया था और ऐसा मत सोचिए कि हम कोई बाहर से मंगाते हैं सारा कुछ, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने जो वैज्ञानिक हैं, आपको उन पर गर्व होना चाहिए और हमें है, उन्होंने रास्ता दिखाया है। कल ही हमने मीटिंग की थी आई०सी० ए०आर० के हमारे जो अनुसंधानकर्ता हैं उनकी, तो उन्होंने सैंकड़ों किस्मों की गिनती कराई थी कि इतनी-इतनी हमने वेरायटीज नई निकाली हैं, इतना हमने किया है। और यही नहीं कि हम बाहर से मंगाते हैं, लोग हमसे मांगते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे पास पुराने बीजों का भंडार है, वह किसी के पास नहीं है। हमसे लोगों ने लेकर के फायदे उठाए हैं। तो हमें कोई डाक्टर ने तो नहीं बताया कि हम कुएं के मेंढक बन जाएं। हमने भी तो बाहर बढ़ना है, सोचना है। हमारा मस्तिष्क दूर तक सोच सकता है, इसलिए करना है। हमने यह काम इसलिए नहीं किया कि हमें आवश्यकता थी, यह बात नहीं है। हमें आवश्यकता इस बात की थी कि कहीं दरवाजा न खुल जाए और गेट से कहीं बीमारी अंदर न आ जाए। यह उन कीड़ों और उन बीमारियों की रोकथाम के लिए बिल है कि उनका ठीक ढंग से हम निरीक्षण कर सकें और निरीक्षण करने के बाद अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको रोकें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपको मैं एक नमूना पेश करता हूं कि अगर हम यह डवारफ वेरायटी वीट नहीं लेते, यह आई०सी०ए०आर० का उत्पादन किया हुआ छोटा मंझला पौधा धान का नहीं लिया होता, यह हरित-क्रांति अगर नहीं होती तो देश का क्या हाल होता? ऐसी बात नहीं है कि हम सारा उन पर निर्भर करते हैं य, वह हम पर निर्भर करते हैं। यह दोनों हाथों से ताली बजती है। हम ज्यादा देते है और लेते की चेष्टा करते हैं और इसी हिसाब से हमने किया है। बाकी बातें जो आपने बतायी है, इंसेक्टीसाईड्स का इसमें प्रश्न पैदा नहीं होता। यह तो सिर्फ कीड़े-मकौड़ों के लिये छोटा सा प्रकरण था, क्योंकि पैसा लगता था और उपसभाध्यक्ष महोदय, पैसा वह वापिस मांग रहे थे और वापिस देना ठीक नहीं था। मैंने कहा कि इतना नुकसान क्यों हो, जो मंगाते हैं दें भी। इसके लिये हमने सिर्फ हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ यह काम करके सिर्फ उनका निराकरण किया और यह जो 25 को किया, वह इसलिए किया गया कि वक्त नहीं था और इसलिये कर दिया गया। मामूली सा संशोधन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, न कोई नया बिल है। ... (व्यवधान)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Have you gone to the Supreme Court against the judgement of the hon. High Court?

श्री बलराम जाखड़: जब आप अपने आप सर्वोपरि हैं तो क्यों यह काम कर रहे हैं। हमने देखा कि वापिस करना पड़ेगा, उल्टा काम होगा, उल्टी गंगा क्यों बहाते हो। इसलिये किया गया है कि ठीक ढंग से हो सके। उसके लिये देखिये कि :

"The purpose of liberalised seeds policy is not to discourage our research scientists but to supplement their efforts, more so in the immediate future so that the Indian farmers can benefit from better plant material and give a boost to our domestic production and exports.

Regarding ingress of new pests, it may be stated that Plant Protection and Quarantine stations have been strengthened by providing sophisticated equipment and additional manpower wherever required so as to ensure that the important consignment of plant material and seeds could be subjected to rigorous scientific tests in an efficient manner."

श्री बलराम जाखड़

इतना ही करके किया है। इसमें बात सिर्फ छोटी सी थी, नाम बड़ा हो गया और नयी सीड पौलिसी की भी कोई भ्रांति पैदा हो गयी। उस भ्रांति को दूर करना है। यह तो सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास साधन बने रहें और आपके हितों की रक्षा करते रहें। आपने जो भूमि की बातें कही और दूसरी बातें कही, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भूमि के बगैर तो उत्पादन होगा नहीं और भूमि ऊसर रहेगी, तब भी उत्पादन नहीं होगा, भूमि में सिंचाई नहीं होगी तब भी उत्पादन नहीं होगा। अत: उसका जो काम करना है वह आपने और हमने मिलकर पैसे के अनुसार करना है, जो हमारी जेब में होना चाहिए भगवान ने चाहा तो अगले साल ज्यादा पैसा होगा। फिर उसके उत्पादन के लिये करेंगे। आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं, चिंता मत कीजिये और बिल्कुल निश्चित होकर करिये। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका और देश का अहित हो। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस बिल को पास करदें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The question is:

That the Bill further to amend the Destructive Insects and Pests Act, 1914, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BALRAM JAKHAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT MADE BY THE MINISTER RE. PRICE POLICY FOR RABI CROPS TO BE MARKETED IN 1992-93 SEASON

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Before I wish you for "Holi" festival, there are some clarifications on the statement made by the Minister of State in the Ministry of Agriculture.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): On Monday, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There are only four or five clarifications. Let us finish it. Shri Ram Naresh Yadav.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Yes, Sir, we will finish now in ten minutes. You give five minutes for asking clarifications and five minutes for answering.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और जिस तरह से दाम निर्धारित करके सदन के अंदर घोषणा की है किसानों के लिए, यह कुछ हद तक तो उचित है लेकिन जैसे गेहूं के दाम के लिए कहा गया है कि 225 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वैसे ही जौ के दाम में 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जो हमारे देश का किसान है, उसकी जो वास्तविक इनकम है वह दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जहां पर 1970-71 में 445.60 रुपए थी, 1988-89 में वह घटकर 420 रुपए हो गई। कहने का मतलब यह है कि 5.7 परसेंट